न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2019 (रै.वि.)
पंजीयन दिनांक 23.10.2019
G.C.M.S. NO.:-2019/00187

ए. यु. स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यु. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड़, जयपुर (राज.) पिन नम्बर 302001 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमति सुनिता शर्मा पत्नि स्व. श्री भोलाशंकर शर्मा (विधिक उत्तराधिकारी स्व. भोलाशंकर शर्मा–ऋणी) निवासी 785 के, श्रीराम मंदिर के सामने, झालरबावडी, रावतभाटा तहसील रावतभाटा भाभानगर, जिला चित्तौड़गढ़ एट आलसो श्रीमति सुनिता शर्मा, अविनाश शर्मा एवं निशा शर्मा सभी विधिक उत्तराधिकारी स्व. श्री भोलाशंकर शर्मा सम्पत्ति पट्टा संख्या 9 गांव झालरबावडी, जीपी बडोलिया, खसरा नम्बर 04 रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्री अविनाश शर्मा पिता स्व. श्री भोलाशंकर शर्मा (विधिक उत्तराधिकारी स्व. भोलाशंकर शर्मा–ऋणी) निवासी 785 के, श्रीराम मंदिर के सामने, झालरबावडी, रावतभाटा तहसील रावतभाटा भाभानगर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–निशा शर्मा पुत्री स्व. श्री भोलाशंकर शर्मा (विधिक उत्तराधिकारी स्व. भोलाशंकर शर्मा–ऋणी) निवासी 785 के, श्रीराम मंदिर के सामने, झालरबावडी, रावतभाटा तहसील रावतभाटा भाभानगर, जिला चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–श्री हरदेव सिंह पिता श्री रघुराज सिंह चौहान निवासी 547, हनुमान मंदिर पार्क के पास, वार्ड नम्बर 17, महावीर नगर 2, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1– श्री किशन सिंह गाडन, अधिवक्ता प्रार्थी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 59/2019 (रे.वि.)
ए. यु. स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड बनाम श्रीमति सुनिता शर्मा पत्नि स्व. श्री भोलाशंकर शर्मा निवासी रावतभाटा वगैरा

आदेश

दिनांक 02.02.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 8,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रुप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया उसके पश्चात् विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्रीमति सुनिता शर्मा पत्नि स्व. भोलाशंकर शर्मा की सम्पत्ति जो कि पट्टा संख्या 09 ग्राम झालरबावडी, जीपी बडोलिया, खसरा नम्बर 04 तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ Owned by late Shree Bhola Shankar Sharma **पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 1350 स्क्वायर फीट है। चर्तुसीमाः-**

पूर्व	**:- हरजी भील की सम्पत्ति**	**पश्चिम**	**:- रोड़**
उत्तर	**:- श्रीमति विरनावली की सम्पत्ति**	**दक्षिण**	**:- नारायणदास की सम्पत्ति**

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 22.03.2019 तक राशि रूपये 8,35,849/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official